भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5108

जिसका उत्तर 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

कोयला खानों की नीलामी

5108. श्री मुरारी लाल मीनाः

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 से देश में वाणिज्यिक खनन और अन्य खनिज नीलामी के माध्यम से आवंटित कोयला खदानों की कुल संख्या कितनी है और उनकी वर्तमान प्रचालनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में भी कोई कोयला या लिग्नाइट खान आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी से अब तक कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है और राजस्थान सहित राज्यवार कोयला और खनन क्षेत्र के विकास के लिए उक्त राजस्व का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि पर्यावरणीय मंजूरी और भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं के कारण कोयला खानों के प्रचालन में विलंब न हो; और

(ङ) क्या राजस्थान में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : वर्ष 2020 से वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी के माध्यम से कुल 109 कोयला खानें आबंटित की गई हैं जिनमें से 15 खानें प्रचालनरत हैं। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान 392 गैर-कोयला प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है, जिनमें से 32 प्रचालनरत हैं।

(ख) : कोयला मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य में वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी के माध्यम से कोई कोयला/लिग्नाइट खान आबंटित नहीं की गई है।

(ग) : वर्ष 2020 में वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू होने के बाद से जनवरी 2025 तक, आगे उपयोग के लिए कोयला/लिग्नाइट क्षेत्रों वाले राज्य सरकारों को अग्रिम राशि और मासिक भुगतान (रॉयल्टी, उपकर, डीएमएफ, एनएमईटी आदि को छोड़कर) के रूप में लगभग 4149.76 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अग्रिम राशि और मासिक भुगतान (रॉयल्टी, उपकर, डीएमएफ, एनएमईटी आदि को छोड़कर) के रूप में वाणिज्यिक खनन से प्राप्त राज्य-वार राजस्व निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	**राज्य**	**जनवरी 2025 तक राजस्व (करोड़ रुपये में)**
1	छत्तीसगढ़	1722.85
2	झारखंड	579.07
3	महाराष्ट्र	143.07
4	मध्य प्रदेश	549.21
5	ओडिशा	1061.78
6	पश्चिम बंगाल	93.60
7	असम	0.18
कुलयोग		**4149.76**

(घ) : कोयला मंत्रालय अनेक महत्वपूर्ण उपायों के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृतियों और भूमि अधिग्रहण सहित कोयला खान प्रचालन में विलंब का सक्रिय रूप से समाधान कर रहा है। नियमित समीक्षा करने और ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है जिसमें संबंधित मेजबान राज्यों के मुख्य सचिव, सचिव (एमओईएफ और सीसी), कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) और सीएमपीडीआईएल समिति के सदस्यों के रूप में शामिल हैं।

(ङ) : पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

****